व्या–83 । 3हो0गा0 / 02

प्रेषक,

विभा पुरी दास,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

महासमादेष्टा,
होमगार्डस,
उत्तरांचल,देहरादून ।

गृह अनुभाग–5 देहरादूनः दिनांक 29 सितम्बर,2006

विषयः– उत्तरांचल प्रदेश होमगार्ड्स कल्याण कोष नियमावली 2002 में संशोधन ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–सीजी–27 / होगा / 2001 / 318,दिनांक 20–7–2006 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय तात्कालिक प्रभाव से शासनादेश संख्या–1646(2) / हो0गा0 / गृह–3 / 2003,दिनांक 26 फरवरी,2003 द्वारा निर्गत की गयी **उत्तरांचल प्रदेश होमगार्ड्स कल्याण कोष नियमावली 2002 के नियम 4 क** में संशोधन करते हुए निम्नांकित तालिका के स्तम्भ–1 के स्थान स्तम्भ–2 प्रतिस्थापित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

प्रदेश होमगार्ड्स कल्याण कोष नियमावली 2002 के नियम 4 क में वर्तमान प्राविधान	**प्रदेश होमगार्ड्स कल्याण कोष नियमावली 2002 के नियम 4 क में संशोधित प्राविधान**
1	2
क–कोष के सदस्यों को निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना:–	क–कोष के सदस्यों को निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना:–
(1) विशेष जोखिम वाली ड्यूटी के दौरान मृत्यु– **पच्चीस रूपये से 10 हजार** (इसके अन्तर्गत चुनाव, कानून व्यवस्था तथा दैवीय आपदा सम्बन्धित ड्यूटी सम्मिलित होगी)	(1) साम्प्रदायिक दंगों के समय मृत्यु होने की दशा में– रू0–50000 / –
(2) मृत्यु तथा स्थाई अपंगता ड्यूटी के समय हुई दुर्घटना– रू0 02 हजार	(2) विशेष जोखिम ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने की दशा में– रू0–20000 / –
(3) सामान्य ड्यूटी के समय मृत्यु होने पर– रू0 10 हजार	(3) सामान्य ड्यूटी के समय मृत्यु होने की दशा में– रू0–10000 / –
	(4) उपरोक्त विभिन्न श्रेणियों की स्थायी अपंगता की दशा में उक्त श्रेणी के लिए अनुमन्य धनराशि का आधा तथा गम्भीर रूप से घालय होने की दशा में अनुमन्य धनराशि की चौथाई धनराशि सहायता के रूप में दी जायेगी।

क्रमशः 2 / –

59

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–973/XXVII(1)/2006, दिनांक 25 सितम्बर,2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(विभा पुरी दास)
प्रमुख सचिव।

संख्या–837(1)/XX(5)/06–13हो0गा0/02,तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार,उत्तरांचल,ओबेराय मोटर्स बिल्डिंग,माजरा,देहरादून ।
2– समस्त,जिला मजिस्ट्रेट,उत्तरांचल ।
3– समस्त जिला कमाण्डेन्ट,होमगार्ड्स,उत्तरांचल।
4– समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी,उत्तरांचल ।
5– वित्त अनुभाग–1
6– एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर,देहरादून ।
7– गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(एस0एस0टोलिया)
अनु सचिव।